

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रामनिवास सैनी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदक:-

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
नागौर।

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त:-

1. श्री रामनिवास सैनी, पुत्र मांगीलाल सैनी, (विक्रेता एवं मालिक)
निवासी -महपाणियों की कॉलोनी, मु.पो. दौलतपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर
फर्म -मैसर्स रामनिवास सैनी, बस स्टेण्ड दौलतपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर।

प्रकरण संख्या :-46/2021

“ अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम की धारा 26 की उपधारा 2(v) एवं दण्डनीय
धारा 58 ”

उपस्थिति :-

1. प्रतिवादी श्री रामनिवास सैनी पुत्र मांगीलाल सैनी।
2. राजेश कुमार जांगिड़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर।

--:निर्णय :-

दिनांक :-16 दिसम्बर, 2021

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.02.2021 को समय 05:15 पी.एम. पर फर्म मै0 रामनिवास सैनी, बस स्टेण्ड दौलतपुरा पर पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति रामनिवास सैनी पुत्र मांगीलाल सैनी, फर्म-मै0 रामनिवास सैनी बस स्टेण्ड जिला नागौर पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को विक्रय वास्ते घी, तेल मसालें विक्रय आदि पदार्थ रखे पाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।
- (2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहाँ पर एक स्टील की टंकी में लगभग 15 किलों सरसों तेल आमजन को विक्रय वास्ते लूज अवस्था में रखा हुआ था। उक्त सरसों का तेल को अच्छी तरह से हिला मिला कर एक



खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रामनिवास सैनी

रूप कर जांच हेतु देखा, जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्त रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह सरसों का तेल (लूज) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जांच हेतु ले रहे हैं। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त सरसों का तेल (लूज) को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 1600 ग्राम सरसों का तेल (लूज) का नमूना वास्ते जांच हेतु तुलवाकर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रु. 240/-नगद (अक्षरे दो सौ चालीस रु.मात्र) देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक Q-1508, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमांक Q-1508 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैने भी हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता रामनिवास सैनी एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना डिब्बों सील की थी। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने डिब्बों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चमड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।



खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रामनिवास सैनी

- (3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट /2021/324-25 दिनांक 19.03.2021 के द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या LS/81/Act/2021/53 दिनांक 26.02.2021 के द्वारा मालूम हुआ कि मेरे द्वारा लिया गया सरसों का तेल (लूज) का नमूना Q-1508 Prohided as it Contravention of Regulation No. 2.3.15(1)(b) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold in Loose Condition होना पाया गया है। उक्त नमूने की पत्रावली आवेदक द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कि गयी एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने विक्रेता एवं मालिक को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्र क्रमांक :-चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2021/324-25 दिनांक 19.03.2021 प्रेषित किया। जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता रामनिवास सैनी ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।
- प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (लूज) को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य है। जो जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (लूज) का खुली अवस्था में विक्रय किया जो अधिनियम के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।
- (4) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 27.09.2021 को अभियुक्त रामनिवास सैनी पुत्र मांगीलाल सैनी ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 19.02.2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस सरसों का तेल (लूज) का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार खुली अवस्था में बेचा जाना पाया गया। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
- (5) प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 08.12.2021 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह



खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रामनिवास सैनी

व्यक्त किया कि प्रतिवादी खाद्य पदार्थ का खुली अवस्था में विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

- (6) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 19.02.2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी समय 05:15 पी.एम. पर फर्म:-मैसर्स रामनिवास सैनी, बस स्टेण्ड दौलतपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर में पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति रामनिवास सैनी पुत्र मांगीलाल सैनी, निवासी -महपाणियों की कॉलोनी, मु.पो. दौलतपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते तेल, घी आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान स्वयं का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
- (7) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया जहाँ पर एक स्टील की टंकी में लगभग 15 किलो सरसों का तेल (लूज) आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार जांगिड़, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह सरसों का तेल (लूज) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जाँच हेतु ले रहे हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त सरसों का तेल (लूज) को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 1600 ग्राम सरसों का तेल (लूज) का नमूना वास्ते जांच हेतु तुलवाकर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रु. 240/-नगद (अक्षरे दो सौ चालीस रु. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार जांगिड़, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमांक Q-1508 को



खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रामनिवास सैनी

नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता रामनिवास सैनी एवं गवाहान को पढ़, सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई।

- (8) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए, खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म- मैसर्स रामनिवास सैनी, बस स्टेण्ड दौलतपुरा तह. डीडवाना विक्रेता मालिक रामनिवास सैन से खाद्य पदार्थ सरसों. का तेल (लूज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है। तत्पश्चात कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई थी। दो फार्म नं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की व शेष नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं. L.S/81/Act/2021/53 दिनांक 26.02.2021 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-

Opinion- The sample of Mustard Oil bearing Code No. and Sr. No. Q-1508 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is prohibited as it Contravenes Regulation No. 2.3.15.(1)(b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 as it sold in loose condition.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (लूज) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता रामनिवास सैनी से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (लूज) का नमूना Q-1508 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान की जांच रिपोर्ट संख्या LS/81/Act/2021/53 दिनांक 26.02.2021 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य



खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रामनिवास सैनी

कारोबारकर्ता रामनिवास सैनी से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (लूज) नमूना नं.-1508 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खुली अवस्था में विक्रय करना पाया गया है, जिसमें अभियुक्त ने विक्रय निषिद्ध घोषित किये, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम 2011 विनियम 2.3.15(1)(b) के तहत खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (लूज) को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

Prohibition and Restrictions on Sales:-

2.3.15:-Special provisions relating to sale of vegetable oil and fat

- (1) No person shall sell or expose for sale, or distribute, or offer for sale, or dispatch, or deliver to any person for the purpose of sale any edible oil-
- (b) which is not packed in a container, marked and labeled in the manner as specified in FSSAI regulations.

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) इस प्रकार है:-

धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:-

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा 58:-जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2021/324-25 दिनांक 19.03.21 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। अतः उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q-1508 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया गया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य है इस प्रकार, खुली अवस्था में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म:-मैसर्स रामनिवास सैनी, बस स्टेण्ड दौलतपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर व




खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रामनिवास सैनी

विक्रेता रामनिवास सैनी पुत्र मांगीलाल सैनी निवासी-महपाणिया की कॉलोनी, मु. पो. दौलतपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत प्रतिवादी रामनिवास सैनी पुत्र मांगीलाल सैनी, निवासी- महपाणियों की कॉलोनी, मु.पो. दौलतपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर फर्म:-मैसर्स रामनिवास सैनी, बस स्टेण्ड दौलतपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर पर राशि रुपये 27000/- (अक्षरे रुपये सताईस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सूननिश्चित करेंगे।

(9) आदेश दिनांक 16.12.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।




(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना, नागौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना